भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1722

10 फरवरी 2026 को उत्तरार्थ

विषय: ई-एनएएम प्लेटफार्म का कार्यकरण

1722. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) प्लेटफार्म के कार्यकरण और लघु किसानों के बीच इसकी पहुंच संबंधी समीक्षा की है;

(ख) देश में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ई-एनएएम से जुड़ी मंडियों की राज्यवार संख्या कितनी है और डिजिटल रूप से कुल कितनी मात्रा में कृषि उत्पादों का व्यापार किया गया है; और

(ग) किसानों को बिचौलियों के हस्तक्षेप के बिना उचित मूल्य दिलाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और ग्रेडिंग, भंडारण और बाजार पारदर्शिता में सुधार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली की समय-समय पर समीक्षा करती है ताकि छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों के बीच इसके प्रदर्शन और पहुंच की निगरानी की जा सके। दिनांक 31.01.2026 तक, छोटे किसानों सहित 1.79 करोड़ किसान ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं।

(ख): दिनांक 31.01.2026 तक, 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1522 मंडियां ई-नाम के साथ एकीकृत हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ई-नाम के माध्यम से व्यापार किए गए कृषि उत्पादों की राज्यवार मात्रा अनुबंध पर दी गई है।

(ग): ई-नाम बाज़ारों तक पहुंच, रियल टाइम में कीमतों की जानकारी प्रदान करता है, कृषि उपज की गुणवत्ता जांच को सुगम बनाता है और सफाई, ग्रेडिंग, छँटाई और पैकेजिंग के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित ई-नाम मंडियों की स्थिति, मार्ग मानचित्र और प्रचलित कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपनी उपज बेचने के लिए सोच-समझकर निर्णय ले सकें। प्लेटफॉर्म की ई-भुगतान प्रणाली किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। ऑनलाइन किसान पंजीकरण, फार्मगेट और एफपीओ की सीधी भागीदारी, कीमतों की जानकारी के लिए एगमार्कनेट के साथ एकीकरण और बहुभाषी मोबाइल एप्लिकेशन जैसी सुविधाओं ने बाज़ार तक पहुंच और पारदर्शिता को बेहतर बनाया है। ई-नाम एप्लिकेशन वेब और मोबाइल दोनों पर उपलब्ध है। ई-नाम उपयोगकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800-270-0224) उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाइन बाज़ार तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किसानों और अन्य हितधारकों के लिए सभी ई-नाम मंडियों में प्रतिवर्ष दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ट्यूटोरियल वीडियो भी उपलब्ध कराए गए हैं।

अनुबंध

ई-नाम के माध्यम से व्यापार किए गए कृषि उत्पादों की राज्यवार कुल मात्रा

क्र. सं.	राज्य/मानदंड	व्यापार मात्रा (एमटी में)		
		2022-23	2023-24	2024-2025
1	आंध्र प्रदेश	11,34,003	12,20,259.70	12,01,115.74
2	असम	17	0.001	0
3	बिहार	9	13.25	3,307.73
4	चंडीगढ़	1,89,043	2,23,265.99	1,19,813.57
5	छतीसगढ	1,34,138	1,19,422.12	2,42,343.44
6	गोवा	3	127.327	195.533
7	गुजरात	3,31,000	5,36,104.13	4,14,252.42
8	हरियाणा	41,37,028	49,91,074.59	44,94,274.80
9	हिमाचल प्रदेश	60,420	59,130.69	46,713.19
10	जम्मू और कश्मीर	9,207	62,871.82	95,113.06
11	झारखंड	5,423	4,919.77	3,492.33
12	कर्नाटक	40,769	47,110.52	40,870.50
13	केरल	271	153.484	85.634
14	मध्य प्रदेश	17,33,450	17,43,815.54	18,04,211.78
15	महाराष्ट्र	11,01,485	7,76,832.36	11,65,541.47
16	नागालैंड	97	720.79	278.87
17	ओडिशा	4,45,876	5,01,962.31	7,08,250.60
18	पुदुचेरी	14,027	6,667.05	4,348.11
19	पंजाब	4,85,095	4,11,297.91	4,57,712.09
20	राजस्थान	65,36,247	58,21,688.39	66,09,443.03
21	तमिलनाडु	5,36,044	8,25,967.20	7,96,990.03
22	तेलंगाना	8,19,465	9,80,297.71	8,74,138.06
23	त्रिपुरा	1	3.645	19.62
24	उत्तर प्रदेश	7,49,865	8,97,625.02	10,89,948.37
25	उत्तराखंड	1,05,887	1,91,283.32	2,71,286.83
26	पश्चिम बंगाल	10,443	22,540.93	32,123.55
	कुल	1,85,79,313	1,94,45,156	2,04,75,870

इसके अलावा, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, संख्या-आधारित वस्तुएँ (जैसे बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू, स्वीट कॉर्न वगैरह) की 32.27 करोड़ यूनिट्स का भी ई-नाम प्लेटफॉर्म पर ट्रेड हुआ।

******